282

पक्षकार आदि

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

रीवा (म0प्र0)

Rs. 30/-

1– परमेश्वरदीन तनय राममनोहर शुक्ला R 5062-II/17

2– लक्ष्मी प्रसाद तनय कौशल प्रसाद शुक्ला

3– गिरीश कुमार तनय कौशल प्रसाद शुक्ला

4– श्रीमती शकुन्तला विधवा पत्नी श्री कौशल प्रसाद शुक्ला

सभी निवासी ग्राम खैरा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

———आवेदक / निगराकारगण

अधि० श्री रजनीश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 13-2-17

बनाम

गोविन्द प्रसाद शुक्ला तनय रामरूप, निवासी ग्राम खैरा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

कार्यालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

———अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन, जिला सीधी दिनांक 24/01/17 वावत् प्र0क0–384/अपील/15–16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पर सुनवाई हेतु नियत तारीख 06/01/17 पर अनावेदक की रिश्तेदारी व अनुचित लाभ पूर्ण ना हो पाने के चलते तारीख 06/01/17 की पेशी बढाकर

(282)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**–5062-**II** / 17 जिला–सीधी

परमेश्वरदीन वगैरः / गोविन्द प्रसाद शुक्ला

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र रत्नमाला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 384 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.01.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	